न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी श्री कमलेश सिंह महरिया RTS सरदारशहर

प्रा.पत्र 08 / 2022 सन् 2022 ता.फैसला 06.09.2022

1. तोलूराम पुत्र महादेवाराम जाति ब्राह्मण निवासी सोनपालसर सरदारशहर (चूरू)
2. रामसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी सोनपालसर सरदारशहर (चूरू)
3. भैरवलसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत निवासी सोनपालसर सरदारशहर (चूरू)
4. बलदेवसिंह पुत्र सादूलसिंह जाति राजपूत निवासी सोनपालसर सरदारशहर (चूरू)
5. पेमसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी सोनपालसर सरदारशहर (चूरू)
6. अमरसिंह पुत्र लूणसिंह जाति राजपूत निवासी सोनपालसर सरदारशहर (चूरू)
7. सुरेन्द्रसिंह पुत्र जुगलसिंह जाति राजपूत निवासी सोनपालसर सरदारशहर (चूरू)
8. हरूराम पुत्र गोरधन जाति मेघवाल निवासी सोनपालसर सरदारशहर (चूरू)
9. करणीसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी सोनपालसर सरदारशहर (चूरू)

:–प्रार्थीगण

बनाम

1. बुधाराम पुत्र खींया जाति जाट निवासी कीकासर सरदारशहर (चूरू)

:–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा.का.अधिनियम 1955

:–निर्णय:–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के नाम खेत ख. नं. 131, 132, 166, 168, 169, 171, 172, 178, 179,181, एवं 196/165 है जो कि रोही मौजा मलसीसर में स्थित है जबकि प्रार्थीगण ग्राम सोनपालसर के निवासी है। प्रार्थीगण के खेतों में जाने का रास्ता खेत ख.नं. 234 रोही ग्राम कीकासर से होते हुए कीकासर से ढाणी पाण्डुसर जाने वाले कटाणी रास्ते को चीरते हुए खेत खसरा नं. 225 रोही ग्राम कीकासर से होकर कीकासर के ही खसरा नं. 209 में से होकर प्रार्थीगण के खेतों मे जाता है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण व उसके परिजन अपने खेतों में आवागमन करते आ रहे है। उक्त सदामत के रास्ते को खेत खसरा नं. 209 रोही मौजा कीकासर के खातेदार बुधाराम पुत्र खींया जाति जाट निवासी कीकासर [illegible] 18.07.2022 को भींटके लगाकर रोक दिया। तथा हमारे इस रास्ते से जाने [illegible] रूकावट पैदा की और कहा कि हम इस रास्ते से नहीं [illegible] इसी रास्ते [illegible] उपयोग आवागमन हेतु कर रहे है। इसके अलावा [illegible] कोई रास्ता हमारे खेतों में आवागमन का नहीं है। प्रार्थी गण ने निवेदन किया कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दर्ज कर नियमानुसर इस रास्ते को अविलम्ब खुलवाया जाना आवश्यक है।

तहसीलदार
सरदा...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kamalesh Singh Maharia
Date: 2022.12.14 16:38:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र की जांच हेतु कार्यालय हाजा के आदेश 1449 दिनांक 22.07.2022 द्वारा हमने हल्का पटवारी से मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा। हल्का पटवारी रिपोर्ट न्यायालय को दिनांक 02.08.2022 को प्राप्त हुयी; पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध बताये खसरों में रास्ते/पगडंडी के निशानात मौजूद है जिसे वर्तमान में कंटीली झाड़ियों से बंद कर दिया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र मे उपलब्ध तथ्यों तथा हल्का पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया। अप्रार्थी को नोटिस की विधिवत तामील हो चुकी है। नोटिस के प्रत्युतर में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द कुमार सींवर ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा। निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 16.08.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष जवाब पेश किया तथा साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब दिनांक 16.08.2022 में अंकित किया है कि प्रार्थीगण का रोही ग्राम कीकासर के खेतों में से होकर कभी आवागमन नहीं रहा है। साथी ही अंकित किया कि प्रार्थीगण के खेतों तक पहुंचने के लिए कटाणी रास्ता भी गुजरता है जिससे प्रार्थीगण का हमेशा आवागमन रहा है। इसके साथ ही विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी अंकित किया कि प्रार्थीगण मूल रूप से ग्रम सोनपालसर के निवासी है तथा इनका खेत रोही मलसीसर में पड़ता है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रार्थी पहले सोनपालसर से मलसीसर सड़क मार्ग व इसके पश्चात मलसीसर से कीकासर की और गुजरने वाले कटाणी रास्ते से आवागमन करते रहें है। विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता ने स्पष्टतः यह भी अंकन किया है कि प्रार्थीगण का रोही ग्राम कीकासर के ख.न. 209 में से कभी भी आवागमन नहीं रहा है। साथ–साथ अप्रार्थी अधिवक्ता ने अंकित किया कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 रा.का.अधि. के अन्तर्गत नहीं आता है अतः इसे खारिज किया जाना उचित है।

हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि कीकासर की रोही के खेत खसरा नं. 234 में रास्ते के पदचिह्न मौजूद है। इससे आगे के खेत खसरा नं. 209 में भी रास्ते को अवरूद्ध होना लिखा है। हल्का पटवारी ने यह भी अंकित किया है कि खसरा नं. 212 के खातेदार अमरचंद वगैरह जो खसरा नं 209 के चिपते खातेदार है उन्होने रास्ते के बारे में कोई विवाद न बताकर खसरा नं 209 का रास्ता खुलने पर वहा से आवागमन पर कोई बाधा उत्पन करना नहीं बताया।

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों में प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्ध होना लिखा गया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों में खसरा नं. 209 में से होकर कभी भी रास्ता नहीं गुजरना बताया। साथ ही दोनों पक्षों के शपथ पत्रों का अवलोकन करने पर स्पष्ट

तहसीलदार
सरदारशहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kamalesh Singh Malaria
Date: 2022.12.14 16:38:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

होता है कि अपने-अपने पक्ष के शपथ प्रतिज्ञा की भाषा एक ही व बनावटी प्रतीत होती है जो सिर्फ न्यायालय का समय जाया करने के लिए प्रस्तुत की गयी है।

पत्रावली के अद्योपान्त अध्ययन, हल्का पटवारी रिपोर्ट, अप्रार्थी अधिवक्ता के जवाब तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनता से परीक्षण किया। परीक्षण उपरांत यह तथ्य सामने आया कि अप्रार्थी अधिवक्ता ने खसरा नं 234 व 209 रोही मौजा कीकासर में से कभी भी रास्ता होना नहीं बताया लेकिन हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट में यह स्पष्टत अंकन किया गया है कि खसरा नं 234 रोही मौजा कीकासर में रास्ते के पदचिहन मौजूद है। इसके साथ ही हल्का पटवारी द्वारा यह अंकन किया जाना कि खसरा नं 212 के खातेदार द्वार रास्ते के संबंध में कोई विवाद नहीं बताना कि अगर खसरा नं 209 का खातेदार रास्ते में रुकावट नहीं करता है तो मेरे खेत में किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होगी। विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में भी स्पष्ट है कि खसरा नं 234 व 212 के मध्य खसरा नं. 209 पडता है। इसके संबंध में हल्का पटवारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि खसरा नं 234 व 212 में रास्ते के पदचिहन मौजूद है। इससे स्पष्ट होता है कि अगर खसरा नं 234 व 212 में रास्ता गुजरता है तो स्वभाविक ही बीच में पडने वाले खसरा नं. 209 से रास्ता गुजरता है। जिसे वर्तमान में अवरूद्व किया गया है।

विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता ने तो यह उल्लेखित किया है कि उक्त प्रकरण धारा 251 रा.का.अधि. 1955 के अन्तर्गत नहीं आता है। लेकिन रा.का.अधि. 1955 की धारा 251 के अध्याय 16 प्रकीर्ण में दिये गये मार्ग व अन्य निजी सुखाचारों के अधिकार धारा 251 के अनुसार एक भूधारक (कृषक) द्वारा अन्य कृषकों की भूमि से होकर अपनी जोत पर आने-जाने के रास्ते या अन्य कोई अधिकार (जैसे- खेत में सिचाई के लिये पानी ले जाना या कृषि औजारों और संसाधानों को ले जाना) जिसका व उपभोग करता आ रहा है। उनक उपभोग करने में अन्य कृषक द्वारा कोई बाधा डाली जाये तो वह तहसीलदार को आवेदन कर इस प्रकार की बाधा को हटवा सकता है।

कानून के सारभूत प्राब्धानों के अनुसार सदामत के रास्ते को रोकने, जिससे आवागमन बाधित हो, का किसी भी व्यक्ति को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा रोका गया रास्ता जिसे हल्का पटवारी द्वारा कंटीली झाड़ियों से अवरूद्व होना बताया गया है।उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेतों का एकमात्र रास्ता है जिसके रूक जाने से प्रार्थीगण का अपने खेत में आना-जाना बंद हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। अतः गैर कानूनी रूप से रोके गये कि उक्त सदामत रास्ते को खुलवाना हम उचित समझते है ताकि प्रार्थीगण या उनकी तरफ से कोई काश्तकार खेत ख. नं. 131, 132, 166, 168, 169, 171, 172, 178, 179,181 [illegible] 6/165नं. रोही मौजा मलसीसर में आना-जाना कर सके। [illegible] हल्का पटवारी द्वारा दर्शाये गये अवरोध रोके गये [illegible] हल्का भू.अ.नि. के निर्देशन में निर्णय की पालना हेतु [illegible] आदेश जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमीली व तरतीबी दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kamalesh Singh Maharia
Date: 2022.12.14 16:38:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर (चूरू)

तहसीलदार
सरदारशहर

Scanned with CamScanner